

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 300 / नि.स. / स. / स्वा. / 2020
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक: 12/04/2020

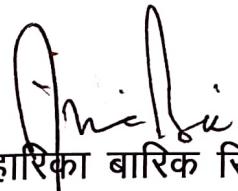
कलेक्टर,
समस्त जिला
छत्तीसगढ़

विषय: कोविड अस्पताल/क्वारेन्टरईन सेंटरों से डिस्चार्ज होने के उपरांत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित व्यक्तियों को उपचार हेतु चिन्हांकित कोविड अस्पतालों में रखे जाने का प्रावधान है। कोविड अस्पताल में उपचार उपरांत उन्हें डिस्चार्ज किए जाने की परिस्थिति में डिस्चार्ज नोट में दिए गए निर्देशानुसार उनको कोविड अस्पताल से अपने अभिरक्षा में प्राप्त करते हुए संबंधित जिले में उसके निवास स्थान तक ले जाने की कार्यवाही की जाये। संबंधित व्यक्ति के सतत पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी सुनिश्चित किया जावे।

इसी प्रकार क्वारेन्टाईन सेंटर, रायपुर से संबंधित जिले के डिस्चार्ज होने वाले व्यक्तियों के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे।


(निहारिका बारिक सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

124